

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 9(76)राज-6/2020

जयपुर, दिनांक 12.02.2021

जिला कलक्टर,
पाली।

विषय:-राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत पर्यटन ईकाई प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत।

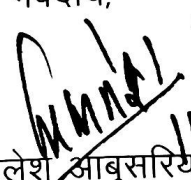
संदर्भ:-आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ.12(3)()राजस्व/2020/4354 दिनांक 21.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि उक्त विषयक प्रकरण में आप द्वारा चाहा गया बिन्दुवार मार्गदर्शन निम्नानुसार है:-

1. कृषि भूमि के संपरिवर्तन के प्रयोजनार्थ खातेदारी भूमि को समर्पित करवाकर सिवायचक भूमि को सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने के संबंध में राजस्व नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। विभागीय अधिसूचना दिनांक 13.10.2020 को जारी कर आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट एवं औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक सम्पदा प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन को छोड़कर अन्य सभी प्रयोजनार्थ भूमि पर पहुँच मार्ग की चौड़ाई की न्यूनतम सीमा 30 फीट के स्थान पर 15 फीट की जा चुकी है।
2. ऐसे प्रकरण जिनमें पहुँच मार्ग की राजस्व रिकॉर्ड में चौड़ाई 20 फीट दर्ज है, ऐसे मामलों में अधिसूचना दिनांक 13.10.2020 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। राजकीय भूमि में से रास्ते हेतु प्रयोजनार्थ खातेदारी भूमि समर्पित कर सिवायचक भूमि को सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने के प्रावधान राजस्व नियमों में विहित नहीं है।

भवदीय,


(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव